[1]संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970

(सं0 आ0 88)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने नागालैंड राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात्, अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :--

1. यह आदेश संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970 कहा जा सकेगा ।

2. वे जनजातियां या जनजाति समुदाय, या जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ, जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संविधान के प्रयोजनों के लिए, नागालैंड राज्य के संबंध में, वहां तक, जहां तक कि उसके उन सदस्यों का संबंध है जो उस राज्य में निवासी हैं, अनुसूचित जनजातियां जाएंगे ।

अनुसूची

1. नागा
2. कूकी
3. कछारी
4. मिकिर
5. गारो ।

[1] विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 1099, तारीख 23 जुलाई, 1970, भारत के राजपत्र, असाधारण, 1970, भाग 2, खंड 3(i), पृष्ठ 641 में प्रकाशित ।